न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2024/399**
दायरा तिथि : 16.10.2024
आदेश तिथि : 07/05/2025
प्रार्थी :–

मोडाराम पुत्र नेतीजी जाति रेबारी निवासी कोठार तहसील बाली वगैरा

प्रतिस्थापित

उमादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी मकान संख्या 128–129, कॉलोनी मोहन नगर, पुनायता रोड तहसील/जिला पाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 07/05/25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 546 रकबा 0.4000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 932/543 रकबा 0. 9400 हैक्टर, खसरा नंबर 539 रकबा 0.4300 हैक्टर व खसरा नंबर 538 रकबा 19.1100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे नारंगी रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/939 दिनांक 09.04.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	533	2.52 हैक्टर	बारानी सोयम	307X9=2763 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख नाना द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 113843/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि प्रार्थीया उमादेवी को बेचान कर देने से प्रार्थीया उमादेवी की ओर से वकील श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 सीपीसी व आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रकरण में बतौर प्रार्थी प्रार्थना पत्र शीर्षक में प्रतिस्थापित किये जाने का निवेदन किया। चूंकि वर्तमान में जिस भूमि में आवागमन के लिये नये रास्ते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है, उक्त भूमि के वर्तमान नये खातेदार उमादेवी है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/399
अनवान मोडाराम प्रतिस्थापित उमादेवी बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 सीपीसी व आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक रिकॉर्ड पर लिया जाता है। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी को राजकीय सिवायचक भूमि से ही रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 546 रकबा 0.4000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 546 रकबा 0.4000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 533 रकबा 2.52 हैक्टर में से **2763 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 113843/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
533	2.52 हैक्टर	307X09=2763 वर्गमीटर	12	33156X2=66312	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 66312/- (अक्षरे छासठ हजार तीन सौ बारह रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के पश्चात नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मुहर: न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.))

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/469-473
दिनांक : 08/05/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक उमादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी मकान संख्या 128-129, कॉलोनी मोहन नगर, पुनायता रोड तहसील/जिला पाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

नकल नक्शा किश्तवार
ग्राम · कोठार
तह- बाली
जिला · पाली
राज.

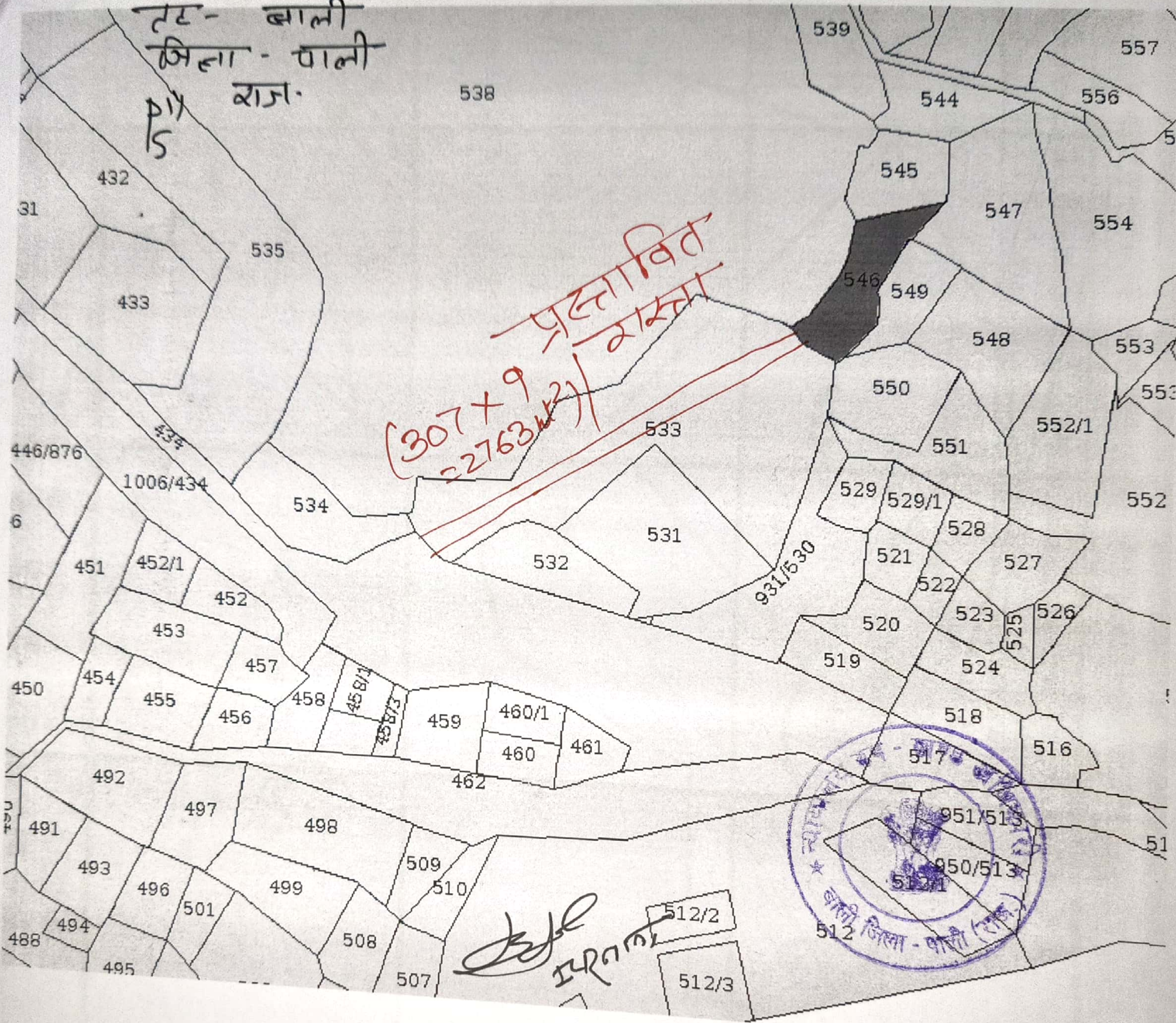

Ex-Court

तहसीलदार, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner